

11.3.3 अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Principle of Maximum Social Advantage)

डॉल्टन (Dalton) का कहना है कि यदि अर्थशास्त्र या राजनीतिशास्त्र की शाखा के रूप में लोक वित्त की विवेचना करनी है तो इसकी जड़ में एक मौलिक सिद्धान्त के प्रतिपादन की आवश्यकता है। इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Principle of Maximum Social Advantage) कह सकते हैं।

इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करके वे अनेक पुरानी धारणाओं की गलतियों को ठीक प्रकार से स्पष्ट कर सके। जे. बी. से ने कहा था कि “वित्त की सर्वोत्तम योजना वह है जहां लोक व्यय न्यूनतम रहता है तथा सर्वोत्तम कर वह है जिसकी मात्रा न्यूनतम रहती है।”¹ यह वह जमाना था जब प्रत्येक कर को बुरा समझा जाता था (“Every tax is an evil”)। इस कथन का यह असर हुआ कि कर तथा व्यय पर गम्भीरता से विचार करने के पूर्व ही लोग पूर्वाग्रह (Bias) की चपेट में आ गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार न तो यह कहना सही है कि सभी लोक व्यय लाभदायक होते हैं और न ही यह उक्ति ठीक समझी जा सकती है कि प्रत्यक्ष कर बुरा होता है। शराब पर कर लगने से इसकी कीमत बढ़ जाती है तथा उपभोग कम हो जाता है। ऐसा कर निःसन्देह अच्छा कहा जायेगा। अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में कोई व्यक्ति एक पेनी खर्च करके भरपूर पी सकता था तथा दो पेन्स खर्च करके होश-हवाश खो सकता था (“A man could get drunk for a penny and dead drunk for two pence.”)। यह उचित स्थिति नहीं थी। अतः शराब पर कर बुरा नहीं माना जा सकता। उसी तरह यह सही नहीं है कि कोई भी लोक व्यय अच्छा नहीं होता। अनावश्यक युद्धों पर व्यय स्पष्टतः बुरा होता है। किन्तु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय ऐसा नहीं समझा जा सकता है। इसलिए तदनुकूल लोक व्यय के लाभ पर ध्यान दिए बिना कर के बोझ की बात करना अनुचित है।

ऐसी बात करना कि सभी कर बुरे होते हैं उस व्यक्तिवादी धारणा पर आधारित है जो यह मानती है कि राज्य कोई उपयोगी काम नहीं कर सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपरोक्त धारणा का सम्बन्ध व्यय के ‘उत्पादक’ एवं ‘अनुत्पादक’ (Productive and unproductive) के मध्य विभाजन से है। एडम स्मिथ, रिकार्डों, आदि शुरू के क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि अधिकांश निजी व्यय जो कर के कारण नहीं हो पाते हैं, उत्पादक होते हैं जबकि अधिकांश लोक व्यय जो कर के कारण सम्भव हो पाते हैं, अनुत्पादक होते हैं। यह गलत धारणा है। शराब पर किया गया निजी व्यय शिक्षा पर किए गए लोक व्यय की तुलना में अधिक उत्पादक नहीं समझा जा सकता है। इसलिए लोक वित्त की किसी भी क्रिया के सम्बन्ध में तब तक किसी विचार का व्यक्त करना उचित नहीं समझा जा सकता जब तक उसके प्रभावों की जांच न कर ली जाये।


¹ “The very best of all plans of finance is to spend little and the best of all taxes is that which is least in amount.” —J. B. Say

पीगू, डाल्टन, आदि अर्थशास्त्रियों ने सीमान्त उपयोगिता विश्लेषण का उपयोग करके निजी तथा लोक वस्तुओं के मध्य आबंटन की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार कोई भी लोक वस्तु या लोक व्यय के उत्पादक होने या नहीं होने की जांच की केवल एक कसौटी है। यदि इससे अधिक कल्याण में वृद्धि होती है तो इसे उत्पादक माना जायेगा, अन्यथा नहीं। यही अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का आधार है।

1888 में शैफ़ल (Schaffle) ने लोक तथा निजी वस्तुओं के मध्य आबंटन के लिए अनुपयोगिता सिद्धान्त का सिद्धान्त (Principle of Proportional Satisfaction) प्रतिपादित किया। इस सिद्धान्त में दिए गए तर्क को आधार बनाकर कोई पचास वर्षों के पश्चात पहले पीगू और फिर डाल्टन ने बजट नीति के लिए सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया। पहला सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक दिशा में लोक व्यय का आबंटन इस प्रकार होना चाहिए ताकि सभी दिशाओं में व्यय से समान सीमान्त लाभ मिले। दूसरे सिद्धान्त का सम्बन्ध बजट के आकार तथा इससे सम्बन्धित निजी तथा लोक वस्तुओं के मध्य आबंटन की समस्या के साथ है। लोक व्यय के परिमाण में तब तक वृद्धि होनी चाहिए जब तक कर के भुगतान का सीमान्त त्याग लोक व्यय की सीमान्त उपयोगिता के बराबर न हो जाये। इस सिद्धान्त को पीगू ने अधिकतम कुल कल्याण का सिद्धान्त (Principle of Maximum Aggregate Welfare) तथा मसग्रेव ने अधिकतम कल्याण सिद्धान्त (Maximum Welfare Principle) कहा। यही डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त है।

डाल्टन का कहना है कि लोक वित्त की क्रियाओं से क्रय शक्ति का हस्तान्तरण होता है। कर द्वारा यह हस्तान्तरण व्यक्तियों से राज्य को होता है। लोक व्यय द्वारा यह हस्तान्तरण राज्य से व्यक्तियों के पास होता है। लोक वित्त की इन क्रियाओं से राष्ट्रीय सम्पत्ति के परिमाण तथा प्रकृति में परिवर्तन होने के साथ-साथ व्यक्तियों तथा सामाजिक वर्गों के मध्य वितरण में परिवर्तन होता है। अब यह देखा जाना चाहिए कि या इन परिवर्तनों के प्रभाव सामाजिक दृष्टि से लाभदायक हैं? यदि हैं तो लोक वित्त की क्रियाएं उचित हैं, यदि नहीं तो नहीं। लोक वित्त की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है।

इस सिद्धान्त की व्याख्या चित्र 11.5 के माध्यम से की जा सकती है। चित्र में लोक व्यय की मात्रा को क्षैतिज रेखा पर तथा सीमान्त उपयोगिता एवं अनुपयोगिता को ऊर्ध्व रेखा पर दिखाया गया है। OX



चित्र 11.5

अनुपयोगिता MB के बराबर है। यदि लोक व्यय की मात्रा OM से कम या अधिक होती है तो इसका अर्थ होगा अधिकतम सामाजिक कल्याण में कमी क्योंकि केवल OM लोक व्यय पर ही सामाजिक लाभ अधिकतम है। मान लें कि लोक व्यय की मात्रा ON है। इस स्थिति में व्यय की सीमान्त उपयोगिता CN है जो इसे

¹ The best system of public finance.

रेखा के ऊपर का घनात्मक (+) भाग उपयोगिता को तथा निचला ऋणात्मक (-) भाग अनुपयोगिता को दर्शाता है, ee वक्र लोक व्यय की सीमान्त उपयोगिता को प्रदर्शित करता है जो लोक व्यय में वृद्धि के साथ, हासमान सीमान्त उपयोगिता नियम के अनुसार, घटती जाती है। tt वक्र कर के भुगतान की अनुपयोगिता को दर्शाता है। कर के परिमाण में वृद्धि के साथ-साथ कर-भुगतान की अनुपयोगिता बढ़ती जाती है। ee वक्र से tt को घटाकर nn वक्र प्राप्त किया गया है। यह nn वक्र निवल लाभ (net benefit) को दर्शाता है जो लोक व्यय की उत्तरोत्तर वृद्धि से प्राप्त होता है।

अधिकतम लोक व्यय OM है जहाँ व्यय की सीमान्त उपयोगिता AM कर की सीमान्त उपयोगिता MB के बराबर है। यदि लोक व्यय की मात्रा OM से कम या अधिक होती है तो इसका अर्थ होगा अधिकतम सामाजिक कल्याण में कमी क्योंकि केवल OM लोक व्यय पर ही सामाजिक लाभ अधिकतम है। मान लें कि लोक व्यय की मात्रा ON है। इस स्थिति में व्यय की सीमान्त उपयोगिता CN है जो इसे

मात्रा अर्थात् ON कर राजस्व की अनुपयोगिता ND से CP मात्रा में अधिक है। इस स्थिति में लोक व्यय में वृद्धि से सामाजिक लाभ में वृद्धि होगी। यदि लोक व्यय की मात्रा OQ हो तो व्यय में हास होने से ही सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। कारण यह है कि OQ लोक व्यय की सीमान्त उपयोगिता मात्रा EQ है, जबकि इसी मात्रा में कर राजस्व की वसूली की सीमान्त अनुपयोगिता QF है जो व्यय की सीमान्त उपयोगिता EQ से RQ मात्रा में अधिक है।

उपरोक्त विश्लेषण को नीचे सारणी के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है :

लोक व्यय की मात्रा	लोक व्यय की सीमान्त उपयोगिता	करों की सीमान्त अनुपयोगिता	लोक व्यय की स्थिति
ON	CN	>	DN
OM	AM	=	BM
OQ	EQ	<	FQ

अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं : 3/1 लाभ की स्थिति :-

(i) उपयोगिता तथा अनुपयोगिता की परिमाणात्मक माप के लिए कोई वस्तुनिष्ठ (Objective) मापदण्ड नहीं है।

(ii) यह सिद्धान्त व्यय सम्बन्धी विभिन्न प्रोग्रामों की कार्यदक्षता को निर्धारित करने का कोई ठोस मापदण्ड नहीं बताता है और न ही विभिन्न करदाताओं के मध्य कर के अंशदान के आवंटन का तरीका ही। इस सिद्धान्त की व्याख्या करते समय मान लिया जाता है कि विभिन्न करदाताओं पर इस प्रकार कर लगाया जाता है कि उन्हें कर के भुगतान करने में न्यूनतम समग्र त्याग (Least aggregate sacrifice) करना पड़ता है। दूसरी ओर, लोक व्यय के सम्बन्ध में यह मान लिया जाता है कि विभिन्न मदों पर लोक व्यय का आवंटन इस प्रकार होता है कि व्यय के प्रत्येक मद से समान सीमान्त लाभ (उपयोगिता) मिलता है।

(iii) इस सिद्धान्त के साथ विधि सम्बन्धी (Methodological) समस्या भी है। लोक वस्तु के लाभ संयुक्त रूप से मिलते हैं, जबकि कर के भुगतान करने में निहित त्याग का अनुभव पृथक्-पृथक् करदाताओं को पृथक्-पृथक् होता है। समष्टि उपयोगिता तथा व्यष्टि अनुपयोगिता को एक ही सिक्के के दो पक्षों के रूप में देखना प्रणाली-सम्बन्धी भूल (Methodological error) है।

(iv) कोई भी वास्तविक अर्थव्यवस्था स्थिर (Static) नहीं है। इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त स्थैतिक (Static) दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

✓ अधिकतम सामाजिक लाभ की जांच (Test of Maximum Social Advantage)

डाल्टन इस सिद्धान्त के दोषों से अनभिज्ञ नहीं हैं। इसलिए वे इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ कसौटियों (Objective tests) की बात करते हैं। प्रमुख कसौटियां निम्नलिखित हैं :

(i) बाह्य आक्रमण से रक्षा तथा आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा—कोई भी राज्य अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है यदि वह बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तथा देश के अन्दर कानून व विधि व्यवस्था को बनाए नहीं रख सकता है। इन दोनों के बिना अधिकतम सामाजिक लाभ की बात नहीं की जा सकती है।

(ii) आर्थिक कल्याण में वृद्धि—सामाजिक लाभ का आर्थिक पहलू भी है। इस पहलू पर विचार करते हुए डाल्टन ने बताया कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए निम्न दो शर्तों का पालन जरूरी है :

(क) उत्पादन शक्ति में सुधार—ऐसा तभी होता है जब समान प्रयत्न से प्रति व्यक्ति उत्पत्ति में वृद्धि होती है या कम प्रयत्न से समान उत्पत्ति मिलती है। साथ ही यह भी देखना है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी गुणवत्ता (Quality) में सुधार होता है। उत्पादन के संगठन में भी सुधार की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय साधनों का न्यूनतम अपव्यय हो। उत्पादन के ढांचे में भी सुधार की जरूरत है ताकि अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले तथा अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन निरुत्साहित हो।

(ख) वितरण में सुधार—इस सुधार के दो पहलू हैं। प्रथम, आय तथा सम्पत्ति के वितरण की असमानता में कमी लाना और दूसरे, विभिन्न कार्यों में व्यक्तियों की आय में होने वाले उत्तार-चढ़ाव की मात्रा कम करना ताकि आय में अधिक स्थिरता कायम हो सके।

(iii) भावी पीढ़ी के हितों की रक्षा—व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक महत्व देना। किन्तु राज्य के साथ ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति मर जाते हैं, लेकिन व्यक्तियों के समूह, जिसे समाज द्वारा जाता है, का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसलिए राज्य को भी वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को अधिक महत्व देना पड़ता है। ऐसी कोई भी नीति उद्धित नहीं कहला सकती जिसके कारण भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ा स हो तथा भावी पीढ़ी को हानि उठानी पड़े।

उर्सला हिक्स की कसीटियाँ (Ursula Hicks' Tests)

लोक वित्त की क्रियाओं से निवल सामाजिक लाभ (Net social benefit) में वृद्धि होती है या कम होती है इसकी जांच के लिए श्रीमती हिक्स ने दो तरह की कसीटियों को विकसित किया। एक को उन्होंने इसका उत्पत्ति (Production optimum) कहा तथा दूसरी को इष्टतम उपयोगिता (Utility optimum)। इसका उत्पत्ति उस समय प्राप्त होती है जब उत्पादक साधनों के पुनः आवंटन से एक वर्गु के उत्पादन को तब तक बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक किसी दूसरी वर्गु के उत्पादन में कमी न हो। ऐसी इष्टतम उत्पत्ति उस कमी मिलती है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है तथा मौजूदा उत्पादन क्षमता की कोई वर्गु कमी नहीं होती है। इसे पैरेटो इष्टतम कल्याण (Pareto optimum welfare) की एक शर्त के रूप में देखा जा सकता है।

हिक्स की इष्टतम उपयोगिता का सम्बन्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति की संरचना (composition) से है। इस संरचना में परिवर्तन के द्वारा सामाजिक लाभ में वृद्धि या कमी लायी जा सकती है। इष्टतम उपयोगिता की मर्यादा उस समय आती है जब राष्ट्रीय उत्पत्ति की संरचना में किसी परिवर्तन के द्वारा समाज की कुल उपयोगिता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। सैद्धान्तिक रूप से परिष्कृत होते हुए भी हिक्स की कसीटियों का व्याकरण महत्व नगण्य है।